स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य

बनाम

मुला सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड

6 जुलाई, 2006

[एस. बी. सिन्हा और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

अनुबंधः

क्षतिपूर्ति और बैंक गारंटी का अनुबंध-अंतर-कागजी संयंत्र की खरीद के लिए अनुबंध-आपूर्तिकर्ता के कहने पर, अपीलकर्ता बैंक ने खरीदार के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया, जिसके कारण क्रेता को सभी नुकसान, दावे, नुकसान, कार्रवाई और लागतों के खिलाफ क्षतिपूर्ति मिली जो उसे झेलनी पड़ सकती हैं-दस्तावेज़ में बैंक गारंटी में पाए जाने वाले सामान्य शब्द जैसे "बिना शर्त" और "निरपेक्ष" नहीं थे-दस्तावेज की प्रकृति-धारितः दस्तावेज़ ने क्षतिपूर्ति का अनुबंध निर्मित किया ना कि बैंक गारंटी-साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 91 और 92

प्रत्यर्थी ने कागज संयंत्र की खरीद के लिए एक अनुबंध किया। आपूर्तिकर्ता (मेसर्स पेंटागन) के कहने पर, अपीलकर्ता-बैंक ने प्रत्यर्थी के पक्ष में एक दस्तावेज़ निष्पादित किया जिससे उसने सभी नुकसानों, दावों, कार्रवाई और ऐसी रकम के

संबंध में लागत की क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया, जिसे आपूर्तिकर्ता उक्त अनुबंध के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रतिवादी और आपूर्तिकर्ता के मध्य विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिस पर प्रत्यर्थी ने अनुबंध समाप्त कर दिया और आपूर्तिकर्ता के खिलाफ धन का दावा उठाया, जो कि इंकार कर दिया गया और उसके दायित्व पर विवाद किया। प्रत्यर्थी ने उक्त दस्तावेज को बैंक गारंटी मानते हुए इसे लागू करने की मांग की लेकिन अपीलकर्ता बैंक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि दस्तावेज क्षतिपूर्ति का अनुबंध है न कि बैंक गारंटी।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या अपीलकर्ता बैंक द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज गारंटी का अनुबंध था या क्षतिपूर्ति का अनुबंध था।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

किसी भी दस्तावेज को मुख्य रूप से उसमें निहित नियमों और शर्तों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय न्यायालय कोई भी ऐसा शब्द नहीं देगा जिसका उपयोग उसके लेखक ने नहीं किया हो। किसी दस्तावेज़ के निर्माण के लिए आसपास की परिस्थितियाँ तभी प्रासंगिक होती हैं जब उसमें कोई अस्पष्टता मौजूद हो, अन्यथा नहीं।

[328-सी, डी]

1.2. विचाराधीन दस्तावेज़ एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ है। इसमें प्रथम दृष्टया कोई अस्पष्टता नही है। उक्त दस्तावेज़ क्षतिपूर्ति का दस्तावेज़ है न कि गारंटी का दस्तावेज़ जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसके कारण अपीलकर्ता को सहकारी समिति को होने वाले सभी नुकसानों, दावों, क्षति, कार्यों और लागतों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करनी थी। दस्तावेज़ में बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी में पाए जाने वाले सामान्य शब्द शामिल नहीं हैं, उदाहरण के लिए, "स्पष्ट शर्त", "सहकारी समिति बिना किसी देरी के नुकसान का दावा करने की हकदार होगी" या गारंटी "बिना शर्त और पूर्ण" थी। [328-डी-एफ]

1.3. उच्च न्यायालय ने बिना शर्त और पूर्ण बैंक गारंटी के दस्तावेज को असंगत बताकर गलती की। उक्त दस्तावेज़ के निर्माण पर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था। इसने दस्तावेज़ के ऑपरेटिव हिस्से को प्रस्तावना कहने में एक स्पष्ट त्रुटि की। इसमें ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ शामिल की गई थीं जिन्हें संबंधित दस्तावेज़ में जगह नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 में निहित रोक ई के बावजूद पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर भी विचार किया।

[327-डी, ई; 333-एच]

एस. चट्टाननाथ करायलर बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व अन्य, [1965] 3 एससीऔर 318; पी.एल. बापूस्वामी बनाम एन. पैटे गौंडर, [1966] 2 एससी

और 918 और एफ देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, [2003] 4 एससीसी 690, प्रतिष्ठित।

बिश्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम राजेंद्र प्रसाद व अन्य, (2006) 2 स्केल 699, पर निर्भर।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुमंची कामेश्वर राव व अन्य, (1997)9 एससीसी179; हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1999)8 एससीसी436; फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम वी.एम. जोग इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, (2001) 1 एससीसी663; द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य, (1997) 6 एससीसी450 और मैसर्स बीएसईएस लिमिटेड (अब रिलायंस एनर्जी लिमिटेड) बनाम मैसर्स फेनर इंडिया लिमिटेड और जेटी (2006) 2 एससी 192 संदर्भित किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2801/2006

बोम्बे उच्च न्यायालय के प्रथम अपील क्रमांक के 692/1989 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 2.8.2005 से।

जी.ई. वाहनवती, एसजी, तुषाद कूपर, राजीव नंदा, रमनी तनेजा, बालू जी., स्वाति सिन्हा और जयश्री सिंह अपीलकर्ताओं की ओर से।

शेखर नाफाडे, हिमांशु गुप्ता, बृज किशोर शाह और शिवाजी प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. के द्वारा सुनाया गया (2005 की एसएलपी (सी) संख्या 22576 से उत्पन्न)

अनुमति दी गई।

पृष्ठभूमि तथ्य

प्रतिवादी एक सहकारी समिति है। इसमें एक चीनी का कारखाना है। इसने टर्नकी के आधार पर ग्राम सोनई में एक पेपर प्लांट की स्थापना के लिए पेंटागन इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड (संक्षेप में) "पेंटागांव") से अनुबंध किया, ताकि यह इसे "खोई" नामक बची हुई सामग्री का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। अनुबंध का कुल मूल्य रु. 3,40,00,000/- था। पेंटागोन ने इसके द्वारा आपूर्ति की गई मशीनरी के संबंध में एक प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत की। उक्त अनुबंध में निम्नलिखित शर्तों में सहकारी समिति द्वारा अनुबंध मूल्य का 10% प्रतिधारण रखने के लिए एक खंड शामिल था:

"15.2.4 संतोषजनक होने पर अनुबंध मूल्य का 5% संयत्र के संतोषजनक कमिशनिंग और तीन महीने तक एक अलग साख पत्र द्वारा काम करने के बाद देय होगा अर्थात तीन महीने के लिए प्लांट को चालू करना और काम करना

निष्पादन गारंटी की उपलब्धि से तीन महीने, जैसा कि खंड संख्या 8 और 9 में निर्धारित है।

15.2.5 अनुबंध मूल्य का 5% संयत्र के संताषजनक चालू होने और इस अवधि के दौरान संयत्र के लगातार सफल संचालन के बाद छः माह बाद भुगतान किया जाएगा, अर्थात छः महीने तक उपरोक्त खंड 8 और 9 के अनुसार एक अलग साख पत्र द्वारा करें।

हालाँकि, पेंटागन ने 6 अप्रैल, 1985 को एक पत्र द्वारा संशोधन के लिए सुझाव दिया था कि सहकारी समिति को विनियमित करने वाले उक्त भुगतान खंड के संबंध में सोसायटी को अनुबंध मूल्य के उक्त 10% को बनाए रखने के अपने अधिकारों को छोड़ना होगा, और इसके बदले में एक साख पत्र रखने का प्रस्ताव रखा ताकि वे उचित बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकें, जिसे सहकारी समिति ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया:

"आपको अनुबंध मूल्य के 10% पर प्रदर्शन गारंटी भी जमा करनी होगी, यदि वही गारंटी प्राप्त नहीं हुई है, तो कारखाना शेष भुगतान से इसे वसूलने का हकदार है और तदनुसार हमने प्रदर्शन गारंटी के अभाव में इसे हटा दिया है।"

इसके जवाब में पेंटागन ने 16 अप्रैल, 1985 को अपने पत्र द्वारा यह कहते हुए उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की :

"...समझौते के अनुसार आपको 10% प्रतिधारण के लिए अलग एल/सी खोलना होगा जो अभी भी आपके द्वारा नहीं किया गया है, जैसे ही आप एल/सी खोलेंगे, हम आपको 10 से 15 दिनों के भीतर प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी देंगे, उसके बाद..."

इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा 7 सितंबर 1985 को या इसके आसपास बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति प्रस्तुत की गई, जिसके प्रासंगिक खंड निम्न प्रकार पढ़े जाते हैं:

"कृपया इसके साथ संलग्न बैंक गारंटी संख्या 85/17 भारतीय स्टेट बैंक, डोंबिवली द्वारा जारी दिनांक 4 सितंबर, 1985 औद्योगिक संपदा शाखा, डोंबिवली।

गारंटी कागजी परियोजना दिनांक 25.09.1983 के लिए हमारे समझौते के अनुसरण में जारी की गई। गारंटी में 34 लाख रुपये की 10% प्रतिधारण राशि शामिल है।

13,76,285/- की राशि स्थल पर पहुँची सामग्री प्रोफार्मा चालान से सुरक्षित रखी गई है।

कृपया आप अपने पास रखी 13,76,285/- रुपये की राशि इस गारंटी के प्राप्त होते ही जारी करें।

विवाद

सहकारी समिति और पेंटागोन के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए। पेंटागन का अनुबंध सहकारी समिति द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1987 को एक नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 3,23,28,209.10 रुपये का दावा किया गया था। पेंटागन ने न केवल उक्त भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार किया और उस पर विवाद भी किया राशि लेकिन दूसरी ओर, यह भी दावा किया गया कि राशि 4,66,73,300/- 18 जुलाई, 1987 के एक पत्र द्वारा देय थी।

इसके बाद सहकारी समिति द्वारा बैंक गारंटी का उपयोग किया गया। उक्त बैंक गारंटी का उपयोग करने वाली सहकारी समिति की मांग का अपीलकर्ता की ओर से यह कहते हुए विरोध किया गया कि उसने एक समझौता निष्पादित किया है। क्षतिपूर्ति के अनुसार या उसके संदर्भ में केवल नुकसान, दावे, इससे होने वाली क्षति, कार्रवाई और लागत को कवर किया गया और प्रश्नगत लेनदेन बैंक गारंटी नहीं बनाता है। इसलिए तर्क दिया कि जब तक सहकारी समिति किसी सक्षम अदालत या प्राधिकारी के माध्यम से डिज़ाइन, प्रदर्शन, कारीगरी या किसी दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई नुकसान या क्षति साबित नहीं करती, अपीलकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

कार्यवाहियाँ

इसके बाद सहकारी समिति ने सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड, अहमदनगर में एक मुकदमा दायर किया। जिसे स्पेशल सिविल सूट नंबर 1987 का 310 के रूप में

क्रमांकित किया गया था। उक्त वाद में सहकारी समिति द्वारा अपीलकर्ता को 34,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देने वाला एक आवेदन दायर किया गया था।

न्यायालय का आदेश

अंतरिम आदेश पारित करने से संबंधित मामला उच्च न्यायालय तक चला गया। उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी, 1988 के एक आदेश द्वारा यह निर्देश दिया कि उक्त राशि अपीलकर्ता द्वारा इस शर्त के अधीन रखी जाएगी कि यदि वाद डिक्री किया जाता है, तो उक्त राशि का भुगतान 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से किया जाएगा। मुक़दमा ख़ारिज कर दिया गया। इसके विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष सहकारी समिति द्वारा अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय ने उक्त समझौते दिनांक 25.09.1983 को एक बैंक गारंटी मानते हुए अपीलकर्ता को ब्याज के साथ 34,00,000/- रुपये की राशि 14% प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते हुए मुकदमे पर फैसला सुनाया।

इस प्रकार, अपीलकर्ता हमारे सामने है।

प्रविष्टियों

श्री जी.ई. वाहनवती विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने अपीलकर्ताओं की और से उपस्थित होते हुए प्रस्तुत किया कि:

(i) 4 सितंबर, 1985 के दस्तावेज़ के वास्तविक निर्माण पर यह देखा जाएगा कि वही क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, न कि बैंक गारंटी।

(ii) उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.09.1985 के उक्त दस्तावेजों को समझने में पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर विचार करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है।

(iii) 14% प्रति वर्ष की दर से दिया गया ब्याज उच्च न्यायालय के दिनांक 23 फरवरी, 1988 के आदेश में निहित निर्देशों के विपरीत और असंगत है

सहकारी समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नफाडे ने दूसरी ओर प्रस्तुत किया कि:

(i) मामले के सार पर उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए, जिनमें अपीलकर्ता द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी और उस उद्देश्य के लिए आसपास की परिस्थितियाँ प्रासंगिक थी। चूंकि अनुबंध की शर्तों को आवश्यक रूप से एक दस्तावेज से एकत्र करना आवश्यक नहीं है, प्रासंगिक परिस्थितियों पर भी विचार किया जा सकता है, वे हैं :-

(ए) विचाराधीन दस्तावेज़ एक पत्र के माध्यम से है। यह दिनांक 29.5.1983 के मूल समझौते को संदर्भित करता है, जिसके संदर्भ में सहकारी समिति पेंटागन से टर्नकी आधार पर पेपर प्लांट खरीदने के लिए सहमत हुई थी। उक्त समझौता निर्धारित करता है कि आपूर्तिकर्ता

को डिज़ाइन, प्रदर्शन, कारीगरी या आपूर्ति की गई दोषपूर्ण सामग्री या उपकरण के लिए सहकारी समिति को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए।

(बी) पेंटागन अपीलकर्ता का ग्राहक था और उसने बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए संपर्क किया था।

इस संबंध में एस चट्टनथा करायलार बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य, [1965] 3 एससीआर 318 और पी.एल. बापूस्वामी बनाम एन. पा/ले गौंडर, (1966] 2 एससीआर 918 पर मजबूत निर्भरता रखी गई है

बैंक गारंटी

बैंक गारंटी का ओपरेटिव भाग दिनांक 07 सितंबर, 1985 इस प्रकार है:

"अब इसलिए यह बैंक गारंटी भारतीय स्टेट बैंक (डोंबिवली औद्योगिक संपदा शाखा) द्वारा मुला सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड के पक्ष में दी गई है, भारतीय स्टेट बैंक (डोंबिवली औद्योगिक संपदा शाखा) इसके द्वारा सहमत है और सुरक्षा का दायित्व लेता है। इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन मुला सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड को क्षतिपूर्ति दे और क्षतिपूर्ति प्रदान करें। इसके संबंध में सभी दावों, क्षति संबंधी कार्यवाहियों और लागत के

विरुद्ध वह धनराशि, जिसे आपूर्तिकर्ता उक्त आदेश की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

उपर्युक्त के अतिरिक्त अपीलकर्ता ने यह कहते हुए उसमें उल्लेखित अन्य नियमों व शर्तों पर सहमति व्यक्त की :

इससे पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी अधिकतम देनदारी 34 लाख रुपये तक सीमित है। यह गारंटी 30 सितम्बर, 1987 तक लागू रहेगी, जब तक कि इस गारंटी के तहत दावे को लागू करने के लिए कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं की जाए। 03 सितम्बर, 1987 को या उससे पहले हमारे खिलाफ दायर की गई इस गारंटी के तहत सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत सभी देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।"

हालांकि उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेज पर विस्तार से ध्यान देने के बावजूद राय देने में एक स्पष्ट त्रुटि की :

"... प्रश्न में प्रस्तावना का पाठ स्वयं उस दस्तावेज को क्षतिपूर्ति के दस्तावेज के रूप में व्याख्या करने का आधार नहीं हो सकता है ..."

यद्यपि यह राय थी कि इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति का अनुबंध होना था, उच्च न्यायालय ने गलत टिप्पणी की:

''...किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति संदर्भित नहीं की गई है, न ही अपीलकर्ताओं द्वारा रेकॉर्ड पर रखी गई। बैंक के अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष कहा कि विचाराधीन दस्तावेज का उद्देश्य गारंटी का अनुबंध था, न कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध। जैसा कि उपर उद्धृत किया गया है लिखित दस्तावेज (प्रदर्श-46) निम्नानुसार प्रस्तावना पर जोर देता है ...।''

फिर भी उक्त पेराग्राफ में, दस्तावेज के आेपरेटिव हिस्से को गलती से प्रस्तावना के रूप में वर्णित किया गया था:

''प्रश्न में दस्तावेज की प्रस्तावना एक धारणा बनाती है कि उक्त दस्तावेज क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, न कि गारंटी का अनुबंध ...''

इसके अलावा उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेज में कुछ शब्द शामिल किये, जो वास्तव में वहां नहीं थे, उदाहरण के लिए, आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 31 में इसमें "स्पष्ट स्थिति" शब्द जोड़ा, जिस शब्द को प्रश्नगत दस्तावेज़ में जगह नहीं मिली। इसी प्रकार, अनुच्छेद 34 में, यह कहा गया था:

"...अपीलकर्ता बिना किसी देरी के अपने दावा किए गए धन के हकदार हैं ऐसे वाणिज्यिक अनुबंधों और दस्तावेजों की प्रकृति और आवश्यकता का संबंधित पक्षों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए..."

फिर भी, यह कहा गया:

"यदि बैंक गारंटी के नियम और शर्तें बिना शर्त और पूर्ण हैं, तो उत्तरदाताओं के पास सम्मान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ..."

उक्त दस्तावेज़ में ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार, उक्त दस्तावेज़ के निर्माण पर उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से गलत था।

उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के रूप में दस्तावेज़ का भाग ओपरेटिव करार देने में स्पष्ट त्रुटि की। इसमें शब्द और अभिव्यक्तियाँ सम्मिलित की गई थीं जिसे प्रश्नगत दस्तावेज़ में स्थान नहीं मिला।

उच्च न्यायालय ने इसके अलावा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 में निहित निम्न रोक के बावजूद भी विचार किया।

"(i) ... इन गवाहों की गवाही, किसी भी तरह से प्रश्नगत दस्तावेज का अपमान नहीं करती है। इसके विपरीत साक्ष्य प्रश्न में बैंक गारंटी के निष्पादन के उद्देश्य और उद्देश्य का समर्थन करता है। यह इस बात का भी समर्थन करता है कि पक्षकार, विशेष रूप से अपीलकर्ता लेनदार-लाभार्थी हैं, उत्तरदाता-बैंक गारंटर और ज़मानतदार और आपूर्तिकर्ता मैसर्स पेंटागन है - मूल ऋणी। जैसा कि हमने नोट किया है और अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के तहत विचार

किया गया है, ऐसी बैंक गारंटी में तीन अवयव हैं, अर्थात लेनदार, गारंटर और प्रिंसिपल देनदार। इस दस्तावेज़ को मात्र पढ़ने पर, यह पक्षकारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। पेंटागन ने अपने पत्र दिनांक 07 सितंबर, 1985 द्वारा अपीलकर्ताओं को। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिना किसी आपत्ति के इस दस्तावेज़ को बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया गया और उसी के आधार पर राशि जारी की गई। इस बैंक गारंटी के अभाव में इसका समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा राशि जारी नहीं की गई होगी।''

(ii) इसलिए, हमारे अनुसार, प्रश्न में लिखित करार की व्यक्त शर्तें, अपीलकर्ताओं के अलावा, प्रत्यर्थी बैंक के अधिकारी की गवाही द्वारा समर्थित है, जिरह में कुछ बयान या प्रकृति के बारे में कुछ संदेह उठाते हुए बैंक के एक गवाह द्वारा किया गया समझौता, स्वयं प्रश्नगत लिखित समझौते को प्रभावित नहीं करेगा.....।

(iii) इस पृष्ठभूमि में, हम परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते जिसके अंतर्गत विशेष शब्दों का प्रयोग और/या दुरुपयोग किया गया था..."

एक दस्तावेज़, जैसा कि सर्वविदित है, प्राथमिक रूप से उसमें निहित नियमों और शर्तों के आधार पर समझा जाना चाहिए। यह भी समान्य बात है, कि किसी दस्तावेज की व्याख्या करते समय न्यायालय कोई ऐसा शब्द नहीं देगा जिसका उपयोग उसके लेखक द्वारा नहीं किया गया हो।

विचाराधीन दस्तावेज़ एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ है। इसमें प्रथम दृष्टया कोई अस्पष्टता नहीं है। उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि प्रथम दृष्टया यह दस्तावेज़ क्षतिपूर्ति का अनुबंध प्रतीत होता है। किसी दस्तावेज़ के निमार्ण के लिए आसपास की परिस्थियॉं तभी प्रासंगिक होती हैं जब उसमें कोई अस्परष्टता मौजूद हो या नहीं।

उक्त दस्तावेज़, हमारी राय में, क्षतिपूर्ति का एक दस्तावेज़ बनता है न कि गारंटी का दस्तावेज़ जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसके कारण अपीलकर्ता को सभी नुकसानों, दावों, क्षति, कार्यों और लागतों के खिलाफ सहकारी समिति को क्षतिपूर्ति देनी थी। इसका खामियाजा भुगताना पड़ सकता है, दस्तावेज़ में बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी में पाए जाने वाले सामान्य शब्द शामिल नहीं हैं, उदाहरण के लिए, "स्पष्ट शर्तें", "सहकारी समिति बिना किसी देरी या देरी के नुकसान का दावा करने का हकदार होगी" या गारंटी थी "बिना शर्त और पूर्ण" जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दस्तावेज़ को गलत पढ़ा और उसकी गलत व्याख्या की, क्योंकि उसकी जांच के बाद उसने यह राय दी थी कि यह गारंटी का अनुबंध था, न कि कोई गारंटी का अनुबंध था।

दस्तावेज़ को बैंक द्वारा सहकारी समिति के पक्ष में बैंक द्वारा निष्पादित किया गया था। उक्त दस्तावेज़ निर्विवाद रूप से पेंटागन के कहने पर निष्पादित किया गया था।

हमने इसके पहले आसपास की परिस्थितियों पर गौर किया है। जैसा कि अनुबंध के खण्ड 15.2.4 और 15.2.5 में निहित है, श्री नफाडे द्वारा पक्षों के बीच दिनांक 6.4.1985, 11.4.1985 को आदान-प्रदान किए गए पत्रों की तुलना में दस्तावेज़ दिनांक 7.9 को निष्पादन के लिए जारी किया गया। 1985 प्रथम अपीलकर्ता द्वारा सहकारी समिति के पक्ष में।

हालांकि, हम विद्वान विरष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ है कि बैंक गांरटी को अन्य कथित समसामयिक दस्तावेज़ के आलोक में समझा जाना चाहिए। एक अनुबंध निर्विवाद रूप से एक से अधिक दस्तावेज़ में निहित हो सकात है। हालांकि, ऐसा दस्तावेज़ पक्षकारों द्वारा और उनके बीच अनुबंध का विषय होना चाहिए। यहां पहले उल्लिखित पत्राचार सहकारी समिति और पेंटागन के बीच थे। उक्त पत्राचार का आदान- प्रदान पक्षकारों के बीच एक ही लेनदेन के हिस्से के रूप में नहीं

किया गया था। अपीलकर्ता ने समझा कि यह एक जमानतादार के रूप होगा न कि गारंटर के रूप होगा।

एस. चट्टनाथ करयालार में इस न्यायालय का निर्णय जिस पर श्री नाफडे द्वारा निर्भरता रखी गई थी, वह वर्तमान मामले के तथ्य पर लागू नहीं होती है। उसमें, एक बैंक के पक्ष में निष्पादित एक वचन पत्र के निर्माण पर सवाल उठाया गया था। उक्त वचन पत्र काे उधारकर्ता द्वारा निष्पादित पत्रों व काल्पनिक समझौते के संदर्भ में समझा गया था, जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ओवरड्राफ्ट राशि के संबंध में उसमें अपीलार्थी की स्थिति जमानत की थी, न कि सह-आवेदक की। उक्त निर्णय में ही, रामास्वामी, जे. ने राय दीः

> ''साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्यर्थी 3 वचन पत्र के अपमान करते हुए किसी मौखिक समझौते का साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि लिखित रूप में संपार्श्विक समझौते के अस्तित्व पर भरोसा कर रहा है। उदाहरण- ए और जी जो वचन पत्र के समान लेन-देन का हिस्सा है....."

उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 तत्काल मामले में लागू होगी, लेकिन इसके बावजूद उसने मौखिक साक्ष्य का उल्लेख

किया ताकि लेन-देन के आसपास की कथित परिस्थितियों का पता लगाया जा सके, जो हमारे विचार में सही नहीं थी।

पी. एल. बापूस्वामी में, जिस पर श्री नाफडे ने भरोसा किया था, यह न्यायालय एक सवाल से चिंतित था कि क्या प्रदर्श बी-1 सशर्त बिक्री द्वारा बंधक का लेनदेन था या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 (सी) के प्रकाश में पुनः हस्तांतरण कि शर्त के साथ बिक्री थी। हम यहाँ इस तरह के मामले से चिंतित नहीं हैं।

यह कहना एक बात है कि किसी लेन-देन की प्रकृति का आंकलन नियमों और शर्तों के साथ-साथ आसपास की और/या उपस्थित परिस्थितियों से किया जाएगा, ऐसे मामले में जहां दस्तावेज़ कुछ अस्पष्टताओं से ग्रस्त है, लेकिन यह कहना अलग बात है कि अदालत इस तरह के पाठ्यक्रम का सहारा लेगी, हालांकि ऐसी कोई अस्पष्टता मौजूद नहीं है।

[विश्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम राजेंद्र प्रसाद और अन्य, (2006) 2 स्केल 699]

यह किसी भी गुंजाइश से परे है कि एक बैंक गारंटी को अपनी शर्तों पर माना जाना चाहिए। इसे एक अलग लेनदेन माना जाता है।

यदि श्री नाफडे द्वारा सुझाए गए किसी निर्माण को स्वीकार किया जाना है, तो एक बैंकर के लिए यह खुला होगा कि वह एक ऐसा मामला पेश करे जो पूर्ण हो।

असंदिग्ध बैंक गारंटी को संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सशर्त गारंटी के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे विचार से यह कानून में अस्वीकार्य है।

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुमांची कामेश्वर राव और अन्य [1997] 9 एस.सी.सी. 179 में कहा गया हैः

> "यह स्पष्ट है कि जब इस तरह के गारंटी बांड को लिखने तक सीमित कर दिया जाता है तो इस लेखन की स्पष्ट शर्तें जिसमें गारंटी बांड होता है, जमानत बांड से आबद्ध रहने वाले गारंटर के दायित्वों का भंडार होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 और 92 के अनुसार कोई भी साक्ष्य समझौते की शर्तों का खंडन नहीं करता है, चाहे दस्तावेजी हो या मौखिक, पक्षकारों द्वारा उसकी स्पष्ट शर्तों से बाहर निकलने के लिए नेतृत्व किया जा सकता है, क्या गरंटी बांड की स्पष्ट शर्तें मांगी गई गारंटी के अनुबंध को जन्म देती हैं, यह एकमात्र सीमित जांच होगी जिसे गारंटी के एेसे अनुबंध से आने वाले अधिकारों और दायित्वों को तय करते समय अदालतों द्वारा विचार किया जा सकता है, जो लेनदार, मुख्य ऋणी और जमानत के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध है। एक बार जब ऐसा प्रतिभूति समझौता स्पष्ट शर्तों पर स्थापित हो जाता है, जैसा की इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित किया गया है, बांड की

स्पष्ट शर्तों पर अनुबंध करने वाले पक्ष, अर्थात् जमानतकर्ता या यहां तक कि मुख्य देनदार को जमानत समझौते के दायित्वों से बाहर निकलने में सक्षक बनाने के लिए कोई छुट नहीं दी जा सकती है। इन निर्णयों में संकेतिक असाधारण परिस्थितियों को छोड कर ऐसे अनुबंधों से लागू होना इन निर्णयों में दर्शाया गया है...."

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1999] 8 एस.सी.सी. 436, विचाराधीन गारंटी निम्नलिखित शर्तों में थीः

"हम, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत निगमित हैं, और हमारी एक शाखा न्यायमूर्ति सी.एन.वैद्य मार्ग, किला, बॉम्बे-400 023 (इसके बाद उक्त बैंक के रूप में संदर्भित), जैसा कि ठेकेदार द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यकारी अभियंता, खारकाई बांध खण्ड II, इचा, चलियामा, पोस्ट केसरगढ़िया, जिला सिंहभूम, बिहार के भुगतान को प्राथमिक दायित्वकर्ता के रूप में गारंटी देने के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनिय रूप से सहमत है, न कि केवल जमानत के रूप में। हमारी ओर से आपत्ति के किसी भी अधिकार के बिना और ठेकेदार से उसके पहले दावे के बिना, राशि 10,00,000 रुपये (केवल दस

लाख रुपये) से अधिक की राशि होने की स्थिति में उपर्युक्त खंड में व्यक्त दायित्व-अधिकार देने वाले ठेकेदार द्वारा अनुबंध पूरा नहीं किया गया है, और अनुबंध के तहत ठेकेदार से अग्रिम मोबिलाईजेशन ऋण की पुरी या आंशिक वसूली के लिए नियोक्ता को दावे का अधिकार दिया गया है....."

ऐसी शर्तों के बावजूद, यह मानते हुए कि विचाराधीन गारंटी एक प्रदर्शन गारंटी थी, इस न्यायालय ने राय दीः

"बैंक ने, उपरोक्त गारंटी में, निस्संदेह, बिना किसी आपत्ति के अधिकार के कार्यकारी अभियन्ता को उनकी पहली मांग पर भुगतान की गारंटी देने के लिए "बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है, लेकिन ये अभिव्यक्तियाँ निम्नलिखित द्वारा तुरंत योग्य हैंः

"ऐसी स्थिति में यदि उपर्युक्त अनुबंध के उक्त खंड में व्यक्त दायित्वों को ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया है, तो नियोक्ता को अग्रिम जुटाने वाले ऋण की पूरी या आंशिक हिस्से की वसूली के लिए अनुबंध के तहत ठेकेदार के खिलाफ दावा करने का अधिकार दिया जाता है....."

यह शर्त स्पष्ट रूप से एच.सी.सी.एल. और प्रतिवादियों के बीच मूल अनुबंध को संदर्भित करती है और यह अभिनिर्धारित करती है कि यदि अनुबंध में व्यक्त दायित्वों को एच.सी.सी.एल. द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो प्रतिवादियों को अग्रिम राशि के पूरे या हिस्से की वसूली का दावा करने का अधिकार दिया जाता है। तब बैंक कार्यकारी अभियंता को गारंटी के तहत देय राशि का भुगतान करेगा। विशेष रूप से खंड 9 का उल्लेख करके बैंक ने कार्यकारी अभियंता को ''अग्रिम जुटाव ऋण'' से संबंधित गारंटी द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने के लिए अपने दायित्वों को तब पुरा किया है, जब अनुबंध के तहत दायित्वो को एच.सी.सी.एल. द्वारा पूरा नहीं किया गया हो या एच.सी.सी.एल. ने "अग्रिम जुटाने का ऋण" के किसी भी हिस्से का दुरुपयोग किया हो। इन परिस्थितियों में उपरोक्त खंड लागू होगा और "संचित अग्रिम" द्वारा कवर की गई पूरी राशि मांग पर देय हो जाएगी। इस प्रकार बैंक गारंटी केवल खंड 9 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में लागू की जा सकती है, जिसके तहत राशि केवल तभी देय हो जाएगी यदि दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है या दुरुपयोग होता है। ऐसा होने पर, बैंक गारंटी को बिना शर्त या स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, ताकि यह कहा जा सके कि प्रतिवादियों को उस गारंटी को लागू करने और तत्काल मांग करने का एक निरंकुश अधिकार था।''

इसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि बैंक गारंटी बैंक और प्रतिवादियों के बीच एक अलग, विशिष्ट और स्वतंत्र अनुबंध का गठन करती है।

इस मामले में, विचाराधीन दस्तावेज़ विशेष रूप से अनुबंध के किसी विशेष खण्ड का उल्लेख नहीं करता है। वास्तव में अनुबंध में पेंटागन को कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाला कोई खण्ड शामिल नहीं है।

अब हम देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य [2003] 4 एससीसी 690, के निर्णय पर विचार कर सकते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक गारंटी इस प्रकार हैः

> "हम, टाइम्स बैंक लिमिटेड, पी.टी.आई. बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, 110001 आगे सहमत है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी भी धनराशि की मांग, देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा उठाये गये किसी भी विवाद के साथ किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही तक सीमित नहीं है।
>
> हम, टाइम्स बैंक लिमिटेड, पी.टी.आई. भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 आगे इस बात से सहमत हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई मांग इन उपहारों के तहत हमारे द्वारा देय और देय राशि के संबंध में निर्णायक होगी जो इन उपहारों के तहत दायित्व से बाहर निरपेक्ष हैं।"

उसकी शर्तों का निर्माण करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"उपरोक्त खंडों के अवलोकन से यह बिलकुल स्पष्ट है कि बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी एक बिना शर्त और पूर्ण बैंक गारंटी है। बैंक ने किसी भी विवाद के बावजूद, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर नकद भुगतान करने के लिए खुद को उत्तरदायी बनाया है। "मेसर्स देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उठाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि बैंक गारंटी में खंड विशेष रूप से प्रदान करता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय राशि और देय राशि के संबंध में की गई मांग निर्णायक होगी और गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट है। स्पष्ट कथनों के सामने, यह तर्क देना बेतुका है कि बैंक गारंटी एक सशर्त बैंक गारंटी है। इसलिए, बैंक के पास बैंक गारंटी के नकदीकरण का विरोध करने का कोई मामला नहीं है। चूंकि हमने माना है कि बैंक गारंटी एक बिना शर्त बैंक गारंटी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य का मामला अपीलकर्ता के लिए कोई लाभ नहीं पहुँचाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उक्त निर्णय यहाँ कोई अनुप्रयोग नहीं कहा जा सकता है।"

हम इस न्यायालय के निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं हैं, जहां धोखाधड़ी या अपूरणीय बुराई के मामलों को छोड़कर, बैंक को बिना किसी देरी के गारंटीकृत राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। एक शिक्षाप्रद निर्णय में, एम. जगन्नाथ राव, जे. फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम वी.एम. जोग इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, [2001] 1 एस.सी.सी. 663 ने दस्तावेजी क्रेडिट के समान वाणिज्यिक प्रथा और इस न्यायालय के साथ-साथ अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों के एक श्रृंखला का जिक्र है, जिसमें एक ऐसे मामले से निपटाया गया जहां धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और अवलोकन किया गया थाः

> ''तब न केवल धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए, बल्कि जहां तक बैंक की बात है, तो यह साबित करना होगा कि उसे धोखाधड़ी की जानकारी थी। यूनाइटेड ट्रेडिंग कार्पोरेशन एस.ए. बनाम संबद्ध अरब बैंक में कहा गया था कि भुगतान से पहले किसी भी समय बैंक की ओर से धोखाधड़ी की जानकारी का प्रमाण होना ही चाहिए। यह भी देखा गया किः
>
> "यह पर्याप्त होगा यदि वादी का पुष्ट साक्ष्य आमतौर पर समकालीन दस्तावेजों के रूप में और जवाब देने में लाभार्थी की अस्पष्टीकृत विफलता, इस निष्कर्ष ले जाती है कि एकमात्र यथार्थवादी निष्कर्ष 'धोखाधड़ी' था।

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य, [1997] 6 एससीसी 450 और मैसर्स बी.एस.ई.एस. लिमिटेड (अब रिलायंस एनर्जी लिमिटेड) बनाम मैसर्स फेनर इंडिया लिमिटेड और अन्य, जेटी (2006) 2 एससी 192

हालाँकि, इस मामले में, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन दस्तावेज़ क्षतिपूर्ति का अनुबंध है न कि एक पूर्ण या बिना शर्त बैंक गारंटी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इसे बिना शर्त और पूर्ण बैंक गारंटी के रूप में समझने में गलती की।

ब्याज की दर के संबंध में श्री वाहनवती का तर्क भी निर्विवाद है, दिनांक 23 फरवरी, 1988 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राशि 12 प्रतिशत के ब्याज की दर के साथ चुकाई जाएगी और मामले को देखते हुए उच्च न्यायालय 14 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता।

उपरोक्त कारणो से विवादित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता जिसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। निचली अदालत का डिक्री बहाल की जाती है। अपील शुल्क पर स्वीकार की जाती है। वकील का शुल्क 5000/- रुपये निर्धारित किया गया।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भारती उपाध्याय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।